उत्तर प्रदेश सरकार

विद्युत विभाग

अनुभाग- 3

प्रकीर्ण

28 दिसम्बर, 1974 ई०

0 6990-ई/73--23-पी §3§--82-ई-एच-56--भारत के संविधान के अनुच्छेद 09 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर मस्त वर्तमान नियमों तथा आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल विद्युत निरीक्षक, उत्तर देश सरकार के कार्यालय के लिपिक वर्गीय सेवा के पदों पर भर्ती तथा उन पर नियुक्त यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती :-

विद्युत निरीक्षणालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1973

भाग 1 -- सामान्य

-संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ--§1§ यह नियमावली विद्युत निरीक्षणालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1973 कहलायेगी ।

§2§ यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

-प्रास्थिति--विद्युत निरीक्षणालय लिपिक वर्गीय सेवा एक अधीनस्थ लिपिक वर्गीय ा है ।

-परिभाषाएं--जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली -

§क§ "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो, या समझा जाता हो ।

§ख§ "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

§ग§ "विद्युत् निरीक्षक" का तात्पर्य मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार से है,

§घ§ "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

§ङ§ "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

§च§ "निरीक्षणालय" का तात्पर्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार के संघटन से है,

§छ§ "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों तथा आदेशों के उपबन्धों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है,

§ज§ "सेवा"का तात्पर्य विद्युत निरीक्षणालय लिपिक वर्गीय सेवा से है ।

भाग 2--संवर्ग

-सेवा के पदों की संख्या §1§ सेवा में पदों की और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्य होगी, जो समय-समय पर राज्यपाल द्वारा अवधारित की जाय ।

§2§ सेवा में पदों की स्थायी संख्या, जब तक कि उपनियम §1§ के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दे दिये गये हों,

क्रमशः पृष्ठ दो पर

Scanned with OKEN Scanner

निम्नलिखित होगी :-

क्रम-सं0	पद का नाम	पदों की संख्या
1-	सहायक अधीक्षक	1
2-	ज्येष्ठ श्रेणी के लिपिक	8
3-	कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक ..	18
4-	आशुलिपिक	3

प्रतिबन्ध यह है कि --

(1) विद्युत निरीक्षक किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्य उसे आस्थगित रख सकते हैं और ऐसा करने पर कोई व्यक्ति प्रतिकर पाने का हकदार न होगा, और,

(2) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जो आवश्यक हों ।

भाग 3--भर्ती

5- भर्ती के स्रोत-- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्न प्रकार से की जायगी :-

(1) कनिष्ठ श्रेणी के लिपिकों-- विद्युत निरीक्षक द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(2) ज्येष्ठ श्रेणी के लिपिक--कनिष्ठ श्रेणी के लिपिकों में से, जिन्होंने कनिष्ठ लिपिक के रूप में कम से कम तीन वर्ष की स्थायी सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा ।

(3) सहायक अधीक्षक--ज्येष्ठ श्रेणी के ऐसे स्थायी लिपिकों में से, जिन्होंने कम से कम दस वर्ष की सेवा, जिसके अन्तर्गत कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक के रूप में सेवा भी हैं, की हो, पदोन्नति द्वारा ।

(4) आशुलिपिक--विद्युत निरीक्षक द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम पर सीधी भर्ती द्वारा ।

6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए आरक्षण--सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग सैनिक कर्मचारियों, शरीरत: असमर्थ व्यक्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगा ।

भाग 4--अर्हताएं

7- राष्ट्रीयता--सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का--

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से भारत आया हो, या

क्रमश: पृष्ठ तीन पर

(घ) भारतीय उद्भव का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्व अफ्रीका की देशों जैसे केन्या, उगांडा और तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तंगानिका और जन्जीबार) से भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से प्रव्रजन किया हो, होना आवश्यक है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) या (घ) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि श्रेणी (ग) के अभ्यर्थी को उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (घ) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एकवर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसा अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में तभी रखा जा सकता है जब कि वह भारत का नागरिक हो जाय ।

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि वह या तो आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें या वह उसके पक्ष जारी किया जाय ।

8- आयु-- सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु यदि विद्युत निरीक्षक द्वारा सचालित परीक्षा । जनवरी तथा 30 जून के मध्य की जाय तो । जुलाई को और यदि उक्त परीक्षा । जुलाई तथा 30 दिसम्बर के मध्य की जाय तो अगले वर्ष की । जनवरी को 18 वर्ष होनी चाहिए तथा 27 वर्ष की न होनी चाहिए ।

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्वतत्रता सेनानियों के आश्रितों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा 5 वर्ष अधिक होगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी या किसी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में अधिकतम आयु-सीमा को शिथिल कर सकता है, यदि वह इसे न्यायोचित व्यवहार अथवा लोक-हित में आवश्यक समझे ।

9- शैक्षिक अर्हतायें--(क) कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशनल, उत्तर प्रदेशकी इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(ख) आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और इसके अतिरिक्त उसे हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिक एवं टकण का अच्छा ज्ञान हो ।

क्रमशः पृष्ठ चार पर

भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने ¦1¦ ... अथवा ¦2¦ जिसने नेशनल कैडेट सेवा में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, अथवा ¦2¦ जिसने नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो ।

11-- चरित्र-- सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र अवश्य ऐसा होना चाहिए, जिससे कि वह सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो । विद्युत निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपना समाधान कर लें ।

टिप्पणी--संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी निगम अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र न होंगे ।

12--वैवाहिक स्थिति--कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, सेवा में भर्ती के लिए पात्र न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है तो वे किसी भी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकते हैं ।

13--शारीरिक स्वस्थता-- कोई भी व्यक्ति सेवा के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ न हों और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हों, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । ऐसे व्यक्ति से, जो पहले सेही राज्य सरकार की स्थायी सेवा में न हो, यदि सेवा में सीधी भर्ती के लिए अन्तिम रूप से चयन कर लिया जाय, तो उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाए गए और फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में दिए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

भाग-5--भर्ती

14--कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक, आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती--¦1¦ जब कभी भी कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक अथवा आशुलिपिक के पद पर भर्ती करना अपेक्षित हो, विद्युत निरीक्षक भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या सुनिश्चित करेगा तथा नियम 6 के उपबन्धों के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियां भी, यदि कोई हों, अवधारित करेगा ।

¦2¦ वह ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय, आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा ।

क्रमशः पृष्ठ प

Scanned with OKEN Scanner

(3) विद्युत निरीक्षक कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक तथा आशुलिपिक के पदों पर भर्ती के लिए पृथक-पृथक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा ।

(4) प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया तथा पाठ्य-क्रम वही होगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय ।

टिप्पणी --इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम "क" में दिया गया है ।

(5) लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एक चयन-समिति द्वारा किया जायगा, जिसमें ज्येष्ठतम उप विद्युत निरीक्षकों को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित लोग होंगे :-

(1) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शासन,
(2) उप विद्युत निरीक्षक,
(3) उप-विद्युत निरीक्षक, ।

(6) प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर उन अभ्यर्थियों का चयन, जो योग्यता क्रम में उच्चतम हों, अन्तिम रूप से कर लिया जायगा और उनके नाम योग्यता-क्रम में बनाई गई एक सूची में रख दिए जायेंगे । कनिष्ठ श्रेणी के सहायकों तथा आशुलिपिकों के लिए पृथक-पृथक सूचियाँ होंगी और उनमें दिए गए नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कुछ अधिक होगी ।

5-- सहायक अधीक्षक द्वारा तथा ज्येष्ठ श्रेणी के लिपिक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती--(1) ज्येष्ठ श्रेणी लिपिक अथवा सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए चयन एक विभागीय समिति द्वारा नियम 5(2) तथा 5(3) में उल्लिखित क्रमिक स्रोतों से, अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा, जिसमें ज्येष्ठतम उप विद्युत निरीक्षकों को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित लोग होंगे :-

(1) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शासन,
(2) उप विद्युत निरीक्षक,
(3) उप विद्युत निरीक्षक ।

(2) समिति, पदोन्नति के लिए पात्र समस्त अभ्यर्थियों के मामलों पर, पद के लिए उनकी उपयुक्तता के संबंध में निर्णय लेने के उद्देश्य से उनकी चरित्र पंजियों तथा संबंधित अन्य लेखों और पद क्रम सूची में उनके स्थान के अभिवेश में विचार करेगी ।

क्रमशः पृष्ठ छः पर

(3) समिति द्वारा अन्तिमरूप से चयन किए गए अभ्यर्थियों के नाम उस पद में, जिसमे उनकी पदोन्नति की गई है, उनकी ज्येष्ठता क्रम में एक सूची में रखे जायेंगे । सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कुछ अधिक होगी ।

भाग 6--नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थायीकरण

16--नियुक्ति--(1) मौलिक रिक्तियां होने पर विद्युत निरीक्षक सेवा के विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसक्रम में उनके नाम नियम 14(6) तथा 15(3) के अधीन तैयार की गई क्रमिक सूचियों में आए हों ।

(2) विद्युत निरीक्षक अस्थायी तथा स्थानापन्न रिक्तियों की नियुक्तियां उपनियम (1) में अभिदिष्ट क्रमिक सूचियों में से करेगा ।

(3) यदि नियम 15(3) के अधीन तैयार की गई सूची में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो विद्युत निरीक्षक उन व्यक्तियों में से, जो पदोन्नति के लिए पात्र हों, पदोन्नति कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों का अग्रेतर बना रहना अगले चयन पर उनके चुने जाने पर निर्भर होगा

17--ज्येष्ठता-- सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पदों पर ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायं तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम उक्त आदेश में आये हों ।

टिप्पणी-- सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि वह बिना वैध कारणों के उस समय जिस समय उसे किसी रिक्त स्थान पर कार्य-ग्रहण करने का प्रस्ताव किया जाय, सेवा में कार्य ग्रहण न करे । कारण वैध है अथवा नहीं इसका निर्णय विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जायगा ।

18--परिवीक्षा--(1) सेवा के किसी पद पर मौलिक रिक्तियों में या उनकेप्रति नियुक्त किये जाने पर समस्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि --

(1) सेवा के संवर्ग में सम्मिलित उसी श्रेणी के किसी पद पर अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई अनवरत सेवा की परिवीक्षा अवधि की गणना करने करने में सम्मिलित किया जा सकता है ।

क्रमशः पृष्ठ सात

(2) विद्युत निरीक्षक उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, व्यक्ति विशेष के मामलों में परिवीक्षा-अवधि को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ा सकता है । इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के ऐसे किसी भी आदेश में वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय ।

(3) यदि परिवीक्षा--अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी समय यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा वह अन्यथा संतुष्ट करने में असफल रहा है तो उसकी सेवायें, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुआ है, समाप्त की जा सकती है अथवा यदि वह पदोन्नति द्वारा नियुक्त हुआ है तो उसे उस पद पर जिससे उसकी पदोन्नति की गई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

(4) कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवायें परिवीक्षा-अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा-अवधि के दौरान अथवा अन्त में समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

19--स्थायीकरण-- किसी भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसके पद पर स्थायी कर दिया जायगा, यदि उसका कार्य संतोषजनक पाया जाय, विद्युत निरीक्षक उसे स्थायीकरण के उपयुक्त समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।

भाग 7--वेतन

20--वेतन-मान--सेवा में नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो अथवा अस्थायी रूप में, निम्नलिखित होगा :-

(1) सहायक अधीक्षक--300-9-340-द0रो0-10-440-द0रो0-12-500 रुपये ।

(2) ज्येष्ठ श्रेणी के लिपिक--260-6-290-द0रो0-8-330-द0रो0-10-380-रुपये ।

(3) कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक--200-5-250-द0रो0-6-280-द0रो0-8-320 रुपये ।

(4) आशुलिपिक--250-7-285-9-375-द0रो0-10-425 रुपये ।

21-परिवीक्षा-अवधि में वेतन--(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किन्हीं प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन किसी व्यक्ति को, यदि वह पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, परिवीक्षा-अवधि के दौरान प्रयोज्य वेतन-मान में वेतन-वृद्धि, जब कभी वह प्रोद्भूत हो, इस शर्त पर मिलेगी कि उसका कार्य संतोषजनक बताया जाय, किन्तु प्रतिबन्ध

क्रमशः पृष्ठ आठ पर

यह है कि यदि परिवीक्षा-अवधि संतोषजनक कार्य न करने के कारण बढ़ाई जाय तो बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये तब तक न की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति का जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतनमान नियम 24 में अभिदिष्ट संगत नियमों के अनुसार विनियमित होगा ।

21--दक्षता-रोक पार करने के लिये मानदण्ड--(1) (क) किसी कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक को प्रथम दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक न दी जायगी जब तक कि उसे विद्युत संबंधी विधि (इलेक्ट्रिसिटी लॉ) तथा नियमों का काम चलाऊ ज्ञान न हो, उसने अपनी पूरी योग्यता से कार्य न किया हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की जाय ।

(ख) किसी कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक को द्वितीय दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक न दी जायगी जब तक कि उसका सेवा-वृत्त निरन्तर अच्छा न रहा हो, उसने अपने उच्च अधिकारियों के पूर्ण संतोषानुसार कार्य न किया हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की जाय ।

(ग) किसी कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक को तृतीय दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तबतक न दी जायगीजब तक उसने अविचालित रूप से कार्य न किया हो और अपनी दक्षता न बनाये रखी हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा न प्रमाणित की जाय ।

(2) (क) किसी ज्येष्ठ श्रेणी के लिपिक को प्रथम दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक न दी जायगी जबतक कि उसने अपने उच्च अधिकारियों के पूर्ण संतोषानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया हो, उसे विद्युत सम्बन्धी विधि (इलेक्ट्रिसिटी लॉ) तथा नियमों का अच्छा ज्ञान न हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा न प्रमाणित की जाय।

(ख) किसी ज्येष्ठ श्रेणी के लिपिक को द्वितीय दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक न दी जायगी जबतक कि उसने अपनी दक्षता न बनाये रखी हो, उसे अपने कनिष्ठ कर्मचारियों का निर्देशन करने की योग्यता न हो तथा उसकी सत्यनिष्ठ न प्रमाणित की जाय ।

(3) (क) किसी सहायक अधीक्षक को प्रथम दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक न दी जायगी जब तक कि उसने अपने कार्य संबंधी सम्यक् ज्ञान का प्रदर्शन न किया हो, अपने उच्च अधिकारियों के पूर्ण संतोषानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया हो, विद्युत सम्बन्धी विधि (इलेक्ट्रिसिटी लॉ) तथा नियमों का अच्छा ज्ञान न हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की जाय ।

क्रमशः पृष्ठ नौ पर

(ख) किसी सहायक अधीक्षक की द्वितीय दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक न दी जायगी जबतक कि उसका सेवावृत्त निरन्तर अच्छा न रहा हो, उसने अपने अधीनस्थकर्मचारियों के ऊपर प्रभावशाली अधीक्षण तथा नियत्रण न रखा हो, अपने कार्य सम्बन्धी सम्यक् ज्ञान का प्रदर्शन न किया हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की जाय ।

(4) (क) किसी आशुलिपिक को प्रथम दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक न दी जायगी जब तक कि वह अंग्रेजी में कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट कीगति से तथा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुत-लेख लिखने में सक्षम न हो, वह क्रमश: कम से कम 40 तथा 30 शब्द प्रति मिनट कीगति सेअंग्रेजी तथाहिन्दी आशुलेखन प्रतिलिखित करने में सक्षम न हो, विद्युत संबंधी विधि (इलेक्ट्रिसिटी लॉ) तथा नियमों का काम-चलाऊ ज्ञान न हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की जाय ।

(ख) किसी आशुलिपिक की द्वितीय दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक न दी जायगी जबतक कि उसका सेवा-वृत्त तथा विश्वसनीयता निरन्तर ठीक न रही हो और यह न पाया जाय कि उसने अपने उच्च अधिकारियों के पूर्ण सन्तोषानुसार कार्य किया है तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की जाय ।

(ग) किसी आशुलिपिक की तृत्तीय दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तबतक न दी जायगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने अविचालित रूप से कार्य किया है तथा अपनी दक्षता बनाए रखी है, वह पूर्णतया विश्वसनीय है तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की जाय ।

भाग 8 अन्य उपबन्ध

23--पक्ष-समर्थन-- इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से विभिन्न सिफारिशों पर, चाहे वे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिए अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे अनर्ह कर देगा ।

24--अवशिष्ट विषय-- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इस नियमावली अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों तथा आदेशों द्वारा नियत्रिंत होंगे, जो उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों पर समान्यतया प्रयोज्य होते हों ।

क्रमश: पृष्ठ दस पर

25--सेवा की शर्तों में शिथिलता--यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाय कि सेवा के सदस्यों की सेवा-शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कष्ट होता है तो उस मामले में प्रयोज्य नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वे उस मामले को ठीक और उचित ढंग से निपटाने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त कर सकते हैं या शिथिल कर सकते हैं ।

आज्ञा से,

लाल बिहारी तिवारी,
सचिव ।

परिशिष्ट "क"

॥नियम 14 देखिये॥

भाग--1

कनिष्ठ श्रेणी के लिपिक के पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा होगी ।

परीक्षा के विषय तथा प्रत्येक विषय के लिए निर्दिष्ट अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :-

विषय	अधिकतम अंक
1	2
लिखित	
1- हिन्दी में साधारण निबन्ध	50
2- हिन्दी में निबन्ध तथा सारलेखन	50
3- अंग्रेजी में साधारण निबन्ध तथा सारलेखन	50
1	2
वैकल्पिक	
4- अंग्रेजी, हिन्दी टंकण	50
5- हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिक	50
मौखिक	
6- व्यक्तित्व	25
7- सामान्य ज्ञान तथा उपयुक्तता	25

क्रमशः पृष्ठ --

टिप्पणी--(क) अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वैकल्पिक विषयों में से एक विषय लेना आवश्यक है ।

(ख) निबन्ध तथा सारलेखन के पत्र इण्टरमीडिएट स्तर के होंगे ।

भाग--2

आशुलिपिक के पदों पर भर्ती के लिए एक लिखित परीक्षा होगी । परीक्षा के विषय तथा प्रत्येक विषय के लिए निर्दिष्ट अधिकतम अंक निम्न-लिखित होंगे :-

विषय	अधिकतम अंक
1	2
1- अंग्रेजी में आशुलिपिक श्रुतलेखन	100
2- हिन्दी में आशुलिपि श्रुत-लेखन	100
3- हिन्दी निबन्ध तथा सारलेखन	50
4- अंग्रेजी निबन्ध तथा सारलेखन	50

टिप्पणी--(क) आशुलिपि के लिए लेखांश अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से तथा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट कीगति से पांच मिनट तक बोला जायगा ।

प्रत्येक आशुलिपि लेखांश को टाइपराइटर पर प्रतिलेखन के लिए आधे घंटे की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) वे अभ्यर्थी जो 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं तथाजो आशुलिपि लेखांश के प्रतिलेखन में 5 प्रतिशत से अधिक अशुद्धियां करते हैं, नियुक्ति के लिए पात्र न होंगे ।

(प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--)

शंकर/20/5

Scanned with OKEN Scanner